मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना 2023–24

https://www.medhavikalyan.mp.gov.in/sambalscholarship/default.aspx

दिनांकः– 17 / 02 / 2024

[Benefit of only one scheme is allowed]

विशेषः– विद्यार्थी किसी अन्य योजना का लाभ ले रहा हो तो कृपया आवेदन नहीं करें।

महाविद्यालय के उन विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, जिनके माता / पिता का म0प्र0 शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हो, ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। योजना के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम हेतु व्यय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा म0प्र0 निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जायेगा।

ऊपर दिए गए पोर्टल में पात्र विद्यार्थी पंजीयन कर, लॉग–इन कर आवेदन करें।

निम्नलिखित डाक्यूमेंट फॉर्म के साथ महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करें :–

1. छात्र द्वारा ऑनलाइन भरा गया आवेदन एवं आवेदन की E-kyc प्रति।
2. असंगठित प्रमाण या कर्मकार पत्र की प्रति।
3. मूल निवासी / स्थाई निवासी तहसीलदार द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति।
4. पिता / पालक / अभिभावक का तहसीलदार द्वारा प्रमाणित वर्तमान वर्ष का आय प्रमाण पत्र की प्रति।
5. प्रथम वर्ष के विद्यार्थी 10वीं, 12वीं अंकसूची की प्रति एवं द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष के विद्यार्थी 10,वीं 12वीं, प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष अंकसूची की प्रति।
6. छात्र के आधार कार्ड की प्रति।
7. समग्र आईडी समस्त परिवार की प्रति।
8. प्रवेश पर्ची / रसीद (फीस रसीद) की प्रति।
9. विद्यार्थी का महाविद्यालय आईडी कार्ड की प्रति।
10. छात्र की बैंक पास बुक की प्रति (बेनेफिशारी नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड) सहित।

PRINCIPAL
St. Aloysius College (Autonomous)
JABALPUR- 482001 (M.P.)
INDIA